2025/555

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम मोहनलाल आदि

मु.नं. 272 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा धारा 131, 132 भू.रा.अधि.

दिनांक	आज्ञा – पत्र
31/7/25	तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1007 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का पूर्णपुरा तहसील धोद जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 320/60, 333/63 व 305/63 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज हेतु प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रकरण को अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का पूर्णपुरा तहसील धोद जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 320/60, 333/63 के खातेदार कानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम हुक्मपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आपत्ति आवेदन पेश किया गया है। अतः प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कोई आपत्ति/अपना पक्ष/साक्ष्य/दस्तावेजात आदि पेश करना हो तो, इस बाबत वर्णित खसरा सं. खसरा सं. 320/60, 333/63 वाके ग्राम हुक्मपुरा के खातेदार कानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम हुक्मपुरा तहसील धोद जिला सीकर को जरिये रजिस्टर्ड डाक/तहसीलदार से वास्ते तामील नोटिसेस जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
07/8/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी कानाराम पुत्र तेजाराम की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया, जो कि शामिल पत्रावली रहे। उक्त जवाब नोटिस में सारतः उल्लेखित किया गया कि "प्रार्थी ग्राम हुक्मपुरा तहसील धोद जिला सीकर का निवासी है। ग्राम हुक्मपुरा में कृषि भूमि खसरा सं. 320/60 रकबा 2.3700 हेक्टेयर, खसरा सं.सं. 333/63 रकबा 1.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 59 रकबा 0.0400 हेक्टेयर (गैर मुमकिन मकान), खसरा सं. 72 रकबा 0.9600 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.3900 हेक्टेयर एवं भूमि खसरा सं. 64 रकबा 0.0600 हेक्टेयर (गैर मुमकिन कुंआ) भूमि खसरा सं. 321/60 रकबा 0.4500 हेक्टेयर एवं भूमि खसरा सं. 61 रकबा 1.5700 हेक्टेयर अवस्थित है। जिसका प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अर्सा चार रोज पूर्व प्रार्थी किसी कार्यवश हल्का पटवारी से मिला तो प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई है कि श्रीमान जी के द्वारा उक्त भूमियो खसरा नम्बर 320/60, 333/63 व खसरा नम्बर 305/63 के संबंध में प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट के आधार पर धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसके अनुसार दिनांक 07.08.2025 तक आपत्ति आवेदन को आमंत्रित किया गया है तथा उक्त दिनांक के बाद रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। प्रार्थी का निवेदन है कि उक्त नोटिस दिनांक 31.07.2025 प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को आज दिनांक तक प्राप्त ही नहीं हुआ है जबकि उक्त नोटिस प्रार्थी के नाम से ही जारी किया गया है। किन्तु फिर भी प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि के रास्ते के संबंध में आपत्तिकर्ता द्वारा पूर्व में दिनांक 11.06.2025 को आपत्ति आवेदन श्रीमान जी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar
Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:07 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सी

तहसीलदार धोद बनाम मोहनलाल आदि

किस्म मुकदमा 131, 136 LR मु.नं. 272 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वयं श्रीमान जी द्वारा मौके पर रास्ता कायम किये जाने की कार्यवाही को स्टोपल किया गया था। इसी संबंध में प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो बउनवानी कानाराम आदि बनाम मोहनलाल आदि है। जिसके मुकदमा सं.202/2025 है। जिसमें प्रकरण की अनुपालना हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान तहसीलदार धोद जिला सीकर को आदेशित भी किया गया है। इस प्रकार से उक्त कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस दिनांकित 31.07.2025 की कार्यवाही से पूर्व उपरोक्त प्रकरण संख्या 202/2025 का निस्तारण किया जाना विधितः आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करना लाजिम आया है। अतः निवेदन है कि उक्त नोटिस दिनांकित 31.07.2025 की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी कानाराम आदि बनाम मोहनलाल आदि मुकदमा सं. 202/2025 के आधार पर रास्ता कायमी की कार्यवाही करने की कृपा करें।"
	उक्त जवाब तथा समग्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1007 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम हुक्मपुरा पटवार मण्डल पूर्णपुरा भू.अ.नि. वृत सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 320/60, 333/63, 305/63 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।
	सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रास्ता सार्वजनिक व प्रचलित रास्ता है। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत सिंगरावट की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम हुक्मपुरा पटवार मण्डल पूर्णपुरा भू.अ.नि. वृत सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 320/60, 333/[illegible]/63 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से [illegible] किये जाने बाबत अभिशंषा की है।
	सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16.13.07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम मोहनलाल आदि

मु.नं. 272 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 131, 132 R

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव के संबंध में आपत्तिकर्ता कानाराम पुत्र तेजाराम की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस तथा समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जबकि उक्त जवाब नोटिस में एक अन्य प्रकरण सं. 202/2025 का उल्लेख किया है, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत विचाराधीन होना बताया गया है। जिसका हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते से कोई संबंध होना जाहिर नहीं है। अतः उक्त जवाब/आपत्ति का निस्तारण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। तहसीलदार, धोद के तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1007 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1007 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम हुक्मपुरा पटवार मण्डल पूर्णपुरा भू.अ.नि. वृत सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 320/60, 333/63, 305/63 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कियां जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1007 दिनांक 06.06.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट [illegible] राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, [illegible] रखा जावें। आदेश खुले न्यायालय में [illegible] होकर नम्बर से कम होकर [illegible] दफ्तर हो। [illegible] धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 15:13:07 IST
Reason: SelfAttested